

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

31-3-2018 को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम : भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर.

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी कोड 0731 फोन नं. 2439629

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात* की स्थिति

(क) जारी कागजात की कुल संख्या	88
(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात	शून्य

* इनमें सामान्य आदेश, जापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस. संसदीय प्रश्न, आदि शामिल हैं।

2. हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम - 5)

(क) अनुभागों/डेस्कों में कार्यालय पद्धति मैनुअल के अध्याय 4, पैरा 12(1) के अनुसार निर्धारित डायरी रजिस्टर के अनुसार हिंदी में प्राप्त कुल	21
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	शून्य

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति(केवल 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए
'क' क्षेत्र से	111	44 (58 पत्रों का जवाब देना अपेक्षित नहीं था। तथा 09 पत्रों का जवाब अंग्रेजी में भेजा गया।)
'ख' क्षेत्र से	31	6 (25 पत्रों का जवाब देना अपेक्षित नहीं था)

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा :-

	हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
'क' क्षेत्र को	386	14	400	96.51%
'ख' क्षेत्र को	22	5	27	81.48%
'ग' क्षेत्र को	8	1	9	88.80%

5. फाइलों पर हिंदी में कार्य

(क) तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	1050
(ख) हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	924
(ग) हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत	88%

6. हिंदी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान कार्यशाला आयोजन की तिथि	प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या (राजभाषा अधिकारियों तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों को छोड़कर)
17 से 19 अप्रैल 2018	54

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि : 13 अप्रैल 2018

	महत्वपूर्ण निर्णय	अनुपालन की स्थिति
1.	वेब साइट को द्विभाषी रूप से अद्यतन करना	अनुपालन हो रहा है।
2.	धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना।	इस बिन्दु पर काफी प्रगति हुई है।
3.	कार्मिकों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन	कार्यशाला आयोजित की गई।
4.	हिंदी साफ्टवेयर का अधिक से अधिक उपयोग करना।	यूनिकोड साफ्टवेयर का उपयोग कर काम किया जा रहा है।

8. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

(क)

गठन की तिथि	वैधता/समाप्ति की तिथि	पुनर्गठन की तिथि
-	-	-

(ख)

महत्वपूर्ण निर्णय	अनुसरणात्मक कार्रवाई
-	-

पहली बैठक ___ - ___

दूसरी बैठक ___ - ___

9. शीर्षस्थ (मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव स्तर तथा अन्य कार्यालयों आदि में प्रशासनिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख स्तर की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें) प्रशासनिक बैठकें :

(क) तिमाही के दौरान हुई शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों की संख्या : 02

(ख) ऐसी कितनी बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाइयां पूरी तरह हिंदी में की गईं:

बैठकों में वार्तालाप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में की जाती है।

10. संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों की स्थिति :

	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए निरीक्षण की तिथि	दिए गए आश्वासनों की प्रकृति/विषय	दिए गए आश्वासनों की संख्या	तिमाही के दौरान पूरे किए गए आश्वासनों की संख्या	शेष आश्वासनों की संख्या
पिछली तिमाहियों के लंबित आश्वासन(यदि कोई हो)	-	-	-	-	-
वर्तमान तिमाही में दिए गए आश्वासन	-	-	-	-	-

11. हिंदी भाषा में प्रशिक्षण की स्थिति :

हिंदी भाषा में प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों/कर्मियों की संख्या	वर्ष में प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मियों की संख्या
	-

-3-

12. तिमाही के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण:- (विवरण संलग्न करें)

(क) हिंदी दिवस _____-

(ख) हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/माह _____-

(ग) हिंदी संगोष्ठी -

(घ) हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत पुस्तकों का विवरण _____-

(ङ) अन्य आयोजन _____-

13. मंत्रालय/विभाग के संबद्ध/अधीनस्थ/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा के प्रयोग हेतु उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों का विवरण -

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है ।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर:

अध्यक्ष का नाम: प्रोफेसर ऋषिकेश टी कृष्णन

पदनाम: निदेशक

फोन नम्बर: 0731-2439501

फैक्स नम्बर: 0731-2439502

ई-मेल का पता: director@iimidr.ac.in

नोट : यह रिपोर्ट विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जायेगी । कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

भाग - II

(इस भाग में सूचनाएं पूरे वित्तीय वर्ष की दी जाएं। इसे केवल 31 मार्च को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग-I के साथ भेजा जाए)

1. (i)	क्या कार्यालय राजभाषा नियम 10(4)(अर्थात कार्यालय के कुल स्टाफ में से 80% को कार्यसाधक ज्ञान है) के अंतर्गत अधिसूचित है ?	हाँ (06.10.08 से)
--------	--	----------------------

(ii) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय आदि के नियंत्रणाधीन कार्यालयों (यदि हों) की राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचना का विवरण : -शून्य-

कुल कार्यालयों की संख्या	अधिसूचित कार्यालयों की संख्या	शेष की स्थिति
-	-	-

2. अधिकारियों/कर्मचारियों के राजभाषा हिंदी के ज्ञान की स्थिति

			अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
2(i)	(क)	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या	26	84	110
	(ख)	उपर्युक्त (क) में से हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान (मैट्रिक/प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य/उच्चतर स्तर पर हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण किए) अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या।	26	84	110
	(ग)	उपर्युक्त (ख) में से हिंदी में प्रवीणता प्राप्त/हिंदी माध्यम में मैट्रिक/उसके समतुल्य/उससे उच्चतर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हुए अथवा हिंदी के वैकल्पिक विषय सहित स्नातक या समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हुए अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या।	08	62	70
	(घ)	उपर्युक्त (क) में से (ख) और (ग) को घटाते हुए कितने कर्मी हिंदी भाषा का प्रशिक्षण पा चुके हैं।	26	84	110
	(ड.)	हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष।	-	-	-
	(च)	आगामी पांच वर्षों में प्रशिक्षण की कार्य योजना :-			
		(i) 2015-16	-		
		(ii) 2016-17	-		
		(iii) 2017-18	-		
		(iv) 2018-19	-		
		(v) 2019-20	-		

			कुल संख्या	हिंदी में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	हिंदी में काम करने वालों की संख्या	प्रशिक्षण के लिए शेष
2(ii)	(क)	आशुलिपिक	1	1	1	-
	(ख)	टंकक/लिपिक	1	-	-	-
	(ग)	आगामी पांच वर्षों में प्रशिक्षण की कार्य योजना :-	हिंदी प्रशिक्षण के लिए कोई शेष नहीं है।			
		(i) 2015-16				
		(ii) 2016-17				
		(iii) 2017-18				
		(iv) 2018-19				
		(v) 2019-20				
2(iii)	(क)	कुल अधिकारी/कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं।			02	
	(ख)	उक्त (क) में से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से प्रशिक्षण प्राप्त			-	
	(ग)	कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है			02	
	(घ)	आगामी पांच वर्षों में प्रशिक्षण की कार्य योजना :-				
		(i) 2015-16				
		(ii) 2016-17	क्रमवार प्रशिक्षण दिया जाएगा।			
		(iii) 2017-18				
		(iv) 2018-19				
		(v) 2019-20				

3.हिंदी कार्य में सहायक विभिन्न सॉफ्टवेयरों की जानकारी तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण की स्थिति

3(i)	यूनिकोड, एम एस ऑफिस, टैली ईआरपी	110
------	---------------------------------	-----

3(ii)	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों /कर्मचारियों की संख्या	कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या
(क)	110	64	84
(ख)	आगामी पांच वर्षों में प्रशिक्षण की कार्य योजना :-		
	(i) 2015-16	-	-
	(ii) 2016-17	-	-
	(iii) 2017-18	-	-
	(iv) 2018-19	-	-
	(v) 2019-20	-	-

4. कंप्यूटर आदि से सम्बन्धित विवरण

	कुल संख्या	द्विभाषी	यूनिकोड समर्थित	केवल अंग्रेजी में
4(i) कम्प्यूटर/लैपटाप	541	541	541	-

5. कोड, मैनुअल, मानकीकृत प्रपत्र आदि

	कुल संख्या	द्विभाषी/हिंदी में	केवल अंग्रेजी में
(क) अधिनियम/नियम, कार्यालयीन कोड/मैनुअल प्रक्रिया साहित्य, आदि	7	7	-
(ख) मानकीकृत प्रपत्र	-	-	-

6. राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत कार्यालयों/अनुभागों की संख्या जिन्हें सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है।

- (क) कुल कार्यालयों/प्रभागों/अनुभागों की संख्या _____ 23 _____
 (ख) हिंदी में कार्य के लिए विनिर्दिष्ट कार्यालयों/अनुभागों की संख्या _____ 07 _____

7. (क) हिंदी भाषा में प्रशिक्षण की स्थिति :

हिंदी भाषा में प्रशिक्षण हेतु अवशेष अधिकारियों/कर्मियों की संख्या	वर्ष में प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मियों की संख्या
-	02

(ख) मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ संस्थाओं/कार्यालयों के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति

- (i) पूरे वर्ष में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या लागू नहीं
 (ii) हिंदी माध्यम से आयोजित लागू नहीं
 (iii) मिली-जुली भाषा में आयोजित लागू नहीं

(ग) प्रशिक्षण सामग्री

- (i) पूरे वर्ष में तैयार प्रशिक्षण सामग्री की कुल संख्या लागू नहीं
 (ii) हिंदी/द्विभाषी सामग्री की संख्या लागू नहीं
 (iii) केवल अंग्रेजी में सामग्री की संख्या लागू नहीं

8. वर्ष के दौरान किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षण

- (क) (i) अनुभागों की कुल संख्या 23
 (ii) इनमें से निरीक्षित अनुभागों की संख्या 11
 (ख) (i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों (यदि हों) इत्यादि की कुल लागू नहीं
 (ii) इनमें से निरीक्षित कार्यालयों की संख्या लागू नहीं

9. पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन

	कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में
(क) पत्रिकाएं	01 (ज्ञान शिखर)	हिंदी	-
(ख) अन्य प्रकाशन	01 (वार्षिक रिपोर्ट)	द्विभाषी	-

10. हिंदी पुस्तकों की खरीद (पुस्तकालय में गई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में क्रय की गई पाठ्य सामग्री यथा सीडी,

डीवीडी, डाक्यूमेंट्री व ई-बुक शामिल करते हुए)

(i) वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	रूपए- 9,44,217/-
(ii) वर्ष के अंग्रेजी की सामान्य पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	रूपए- 18,6,98/-
(iii) इसमें से हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय	रूपए- 20,600/-

-7-

11. उप सचिव/समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य

उच्च अधिकारियों की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या	कालम 2 में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या		
		70 प्रतिशत से अधिक	70से 30 प्रतिशत तक	30 प्रतिशत से कम
5	5	-	2	3

12. सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के पदों की स्थिति

	पदनाम	पदों की संख्या		कब से रिक्त है
		स्वीकृत	रिक्त	
(क) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों आदि के मुख्यालयों में।	हिंदी अधिकारी	01	-	-
	हिंदी अनुवादक	01	-	-
	हिंदी टंकक	-	-	-
(ख) उपर्युक्त(क)के अधीन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों में	--	-	-	-

13. वेबसाइट की स्थिति

वेबसाइट का पता	आंशिक रूप से हिंदी में	पूरी तरह से द्विभाषी रूप में
http://iimidr.ac.in	द्विभाषी	-

14. विभाग/संगठन के हिंदी के प्रसारार्थ विशिष्ट उपलब्धियों तथा सफल अभिनव प्रयोगों का संक्षिप्त ब्यौरा:

-

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मंत्री जानकारी के अनुसार सही है।
मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर:

अध्यक्ष का नाम: प्रोफेसर ऋषिकेश टी कृष्णन

पदनाम: निदेशक

फोन नम्बर: 0731-2439501

फैक्स नम्बर: 0731-2439502

ई-मेल का पता: director@iimidr.ac.in

यह रिपोर्ट विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जायेगी ।
कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।